भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 255

(सोमवार, 2 फरवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता

255 श्री पी. सी. मोहन:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री तेजस वी सूर्या:
श्री विषणु दयाल राम:
श्रीमती कमलजीत सहरावतः
श्री अनिल फिरोजिया:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में प्रस्तावित संशोधनों की वर्तमान स्थिति, जिसमें समूह संबंधी, दिवाला संबंधी मामलों और सीमा-पार के दिवाला संबंधी मामलों से संबंधित सुधार शामिल हैं;
(ख) उक्त संहिता के अंतर्गत अब तक स्वीकृत दिवालापन संबंधी समाधान की योजनाओं की कुल संख्या कितनी है और परिसमापन मूल्यों की तुलना में लेनदारों द्वारा प्राप्त कुल राशि कितनी है;
(ग) आईबीसी इकोसिस्टम के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की वर्तमान स्थिति और सिस्टम इंटीग्रेटर को शामिल करने की अनुमानित समय-सीमा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का आईबीसी के अंतर्गत डिजिटल केस प्रबंधन के लिए कार्यप्रदर्शन मानदंड या वैधानिक समय-सीमा लागू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 (विधेयक) को 12.08.2025 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया तथा आगे की जांच के लिए लोकसभा की प्रवर समिति को संदर्भित किया गया। प्रवर समिति की रिपोर्ट 17.12.2025 को प्राप्त हुई है। प्रवर समिति की सिफारिशें मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

(ख): 31 दिसंबर 2025 तक, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी/संहिता) के अंतर्गत 1,376 कारपोरेट देनदारों का समाधान किया गया है। स्वीकृत समाधान योजनाओं के अंतर्गत ऋणदाताओं द्वारा लगभग ₹4.11 लाख करोड़ की वसूली की गई है, जो परिसमापन मूल्य का 171.54% है।

(ग): आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र हेतु एकीकृत मंच (आईपीआईई परियोजना) के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) के चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

(घ): आईपीआईई प्रणाली की रूपरेखा तैयार करते समय संहिता में निर्धारित प्रक्रियाओं और समय-सीमाओं के साथ-साथ उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों तथा तत्पश्चात किए गए संशोधनों को ध्यान में रखा गया है।
